



अमित शाह संसद भवन परिसर में 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को पुण्यांजलि अर्पित करते हुए।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एकरान इंडिया

वर्ष: 14 अंक: 333 पृष्ठ: 08

RNI : UTTIN/2009/31653



actionindiaddn@gmail.com

उत्तराखण्ड संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड



फार्स्ट न्यूज़

भजनलाल शर्मा 15
दिसंबर को लेंगे
मुख्यमंत्री पद की शपथ

जयपुर। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को जयपुर के एतिहासिक अल्पट हाउस में सुख सवा ग्राह बजे शपथ लेंगे। इस शायद ग्रहण समारोह में शामिल होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आमंत्रित भेजा जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के लिए भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित भेजा जा रहा है। प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोटर ने दुधवार को बताया कि मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैठवा भी शपथ लेंगे। 15 दिसंबर को ही भजनलाल शर्मा का जननाम भी है। शपथ से पहले भजनलाल गिरिहाज महाराज के दर्शन करने के लिए भरतपुर भी जायेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक के बाद इस समारोह को लेकर अलग-अलग नेताओं की जिम्मेदारियां तय की गईं।

भारत ने ओआईसी के बयान को सिरे से किया खारिज

नई दिल्ली। भारत ने अनुच्छेद-370 को लेकर सुमीत कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने इसे गलत जाकारी और गलत इरादे से दिया गया बयान बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ओआईसी के बयान के लिए प्रक्रियानांकों को जिम्मेदार घोषणा की। प्रवक्ता ने पाकिस्तान का जिक्र किए बिंदा कहा कि ऐसा मानवाधिकारों के सिलसिलावार उत्तराधिकारों और सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले के द्वारा ऐसा हो रहा है। इससे ओआईसी पर ही सवाल उठते हैं। इस तरह के बयान के लिए ओआईसी की कम्पनी करते हैं। ओआईसी 57 इस्लामिक देशों का संगठन है। ओआईसी का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दाना हटाने का फैसला एप्लाई करा दिए हैं। साथ ही उसके बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकीय कार्रवाई का अधिकार है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है।

टीम एकरान इंडिया/भोपाल डॉ. मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन गए हैं।

दुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपरिवर्ती में राज्यपाल मंगुआई पटेल ने राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उसके बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकीय कार्रवाई का अधिकार है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकीय समुदाय से आह्वान किया है।

डॉ. मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री



टीम एकरान इंडिया/भोपाल डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। दुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपरिवर्ती में राज्यपाल मंगुआई पटेल ने राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उसके बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकीय कार्रवाई का अधिकार है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकीय समुदाय से आह्वान किया है।

कैसे हुई संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक?

= दो शख्स कूदे, जूते से कुछ निकाला और धुआं फैलने लगा, दो ने संसद के बाहर किया बवाल

बड़ी चूक

8 संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो शख्स नीचे कूद गए।

टीम एकरान इंडिया/नई दिल्ली संसद पर हमले की बारी के दिन ही वहां सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो शख्स नीचे कूद गए। संसदों ने दोनों शख्स को घेर लिया। लोकसभा में लगे मार्शल भी उत्तर दौड़कर आए और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद दो शख्स के द्वारा धुआं फैलने लगे।



पीठासीन : राजेन्द्र अग्रवाल

चाह लोगों के शामिल होने का संदेह



सभी गुरुग्राम में ठहरे थे, की तलारा जारी एक दूसरे को जानते हैं

76 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली : संसद के शीतोकालीन सत्र के आठवें दिन निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को राजसभा में देरक शपथकर पारित कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेयर ने इस विधेयक पर बोलते हुए कहा कि यह बात भी सामने आ रही है कि चारों एक-दूसरे को जानते थे।

यह घटना बुधवार दोपहर एक बजकर एक मिनट पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल शून्य काल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे।

यह घटना बुधवार दोपहर एक बजकर एक मिनट पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल शून्य काल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे।

मालाद उत्तर से भाजपा संसद खेन्न मर्यू अपनी बात रख रहे थे। तभी दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए।

नीले रंग की जैकेट पहना था एक युवक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा।

की तरफ जाने लगा। अफरा-तफरी के माहौल के बीच कुछ संसदों को हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी

पुलिस की लापरवाही या इंटेलिजेंस चूक, कहां गायब हो गई सादे कपड़ों गली टीम

संसद के भीतर हुई घटना के बाद केंद्रीय गृह सचिव, आईआरी, राँ, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईआईटी और स्पेशल सैल के शीर्ष अफसर मोके पर हुए चूप हुए। घटना की प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। फोरेंसिक टीम भी जोके पर हुए चूप हुए हैं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही या इंटेलिजेंस चूक, कहां गायब हो गई सादे कपड़ों में

कहा है कि इस मामले की जांच के बाद पता चलेगा कि असल कोताही किसका है।

अगर कोई वित्त कैमरे से धूम्रपान दोस्तों पर कौन से सुरक्षा कमी मौजूद है। सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना था कि पहले सदन के बाद, और गैलेरी के अलावा संसद के बापे घेरे लिया गया। सुरक्षा के सालों से लंगड़ी जारी है।

जगन मौजूद रहते थे। उनकी नजर सभी पर रहते थी। अब वह टीम गायब हो गई है। बादर राम गोपाल यादव सादे कपड़ों में इंटेलिजेंस के आदमी होते थे। बाद वे लग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। नए संसद भवन को तो और भी अधिक सुरक्षित बताया गया था। बता दें कि संसद की सुरक्षा के लिए कई बलों के बापे घेरे लिया गया है।

शख्स : बताया जा रहा है कि दर्शक दीर्घा में कूदे दो शख्स में से एक मैसूरू के सांसद के मेहमान के तौर पर संसद पहुंचा चाहा। नारे लगा रहे थे युवक : बसपा सांसद मलूक नगर ने बताया कि उनकी सीट के बगल में ही अचानक एक युवक दर्शक दीर्घा से कूद गया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

कानून के मेहमान के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया। इसके बाद लोगों की आवाज जारी है। अब वह लोगों की आवाज के बगल में ही एक युवक दिखाई दिया।

<div data-bbox="428 541 820



संपादकीय

अब जम्मू कश्मीर में
विकास का नया सूर्योदय

भारत की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर प्रान्त के लिए 11 दिसंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन बनकर आया। इस दिन उच्चायम् न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के निर्णय को वैध ठहराते हुए कहा कि वह एक अस्थाई धारा थी जिसे आज नहीं तो कल हटाना ही था। मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रहुड़ की अधिकारी बाली पीठ ने कहा कि वह एक अस्थाई धारा थी जिसे आज नहीं तो कल हटाना ही था। मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रहुड़ की अधिकारी बाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी। अदालत ने कहा कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊँचा है और अनुच्छेद- 370 को बेअसर करने से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जम्मू हड्डी है। न्यायाधीश चंद्रहुड़ की अधिकारी बाली पीठ ने कहा कि धारा 370 को हटाना संविधानिक रूप से वैध है और केंद्र सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। उच्चायम् न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के शासन के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब संविधान सभा भंग कर दो गई तो सभा की केवल अस्थाई शक्ति का अपार्याप्त हो गई और राष्ट्रपति की प्रतिवाद नहीं होती। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का निरंतर प्रयोग दर्शाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी और इस प्रकार से सीओ 273 अवैध है। जम्मू कश्मीर का संविधान क्रियाशाली है और इस निर्थक घोषणा कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रहुड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा बाहिल किया जायेगा और हम लद्दाख को अलग करने के फैसले से बरकरार रखते हैं। उच्चायम् न्यायालय ने अत में कहा कि हम चार अधियोग को निर्दिश करते हैं कि पुरुष्टर्ग अधिनियम और राज्य के दर्ज 14 की धारा के अंतर्गत 30 सिंबर 2024 तक चुनाव कराये जायें। न्यायालय ने एक यह व्यवस्था भी दी है कि राज्य में 1980 के बाद हुई सभी प्रकार की आतंकवादी /पलायन की घटाओं की जाच के लिए एक कंपेटी बाली जाये जो एक अल्प अनुच्छेद खाली बाली को अक्षमीय पीढ़ों के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सुरेन्द्र कंत शामिल थे। जस्टिस कौल की एतिहासिक टिप्पणी - जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने एक उल्लेखनीय करते हुए कहा कि उन्होंने 1980 से राज्य में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाच के लिए एक सत्य और सुलभ आयोग बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह आयोग आपाराधिक जांच आयोग की तरह काम नहीं करेगा। जस्टिस कौल का मानना है कि अंतक के चलते राज्य की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने बहुत कुछ ज्ञान है इसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए जाखों को ठीक करने की जरूरत है।



“ लिव-इन रिलेशनशिप कानून के पक्षधर इसे मूलभूत मानवीय

अधिकारों और लोगों के व्यक्तिगत

जीवन के विषय के रूप में देखते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इस व्यवस्था को भारतीय सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध मानता है। यह वर्ग इसे गैर पारंपरिक, अनैतिक यहाँ तक कि अधारिक भी मानता है।

जबकि अदालत अपने निर्णय में स्पष्ट

कर चुकी है कि "लिव-इन

रिलेशनशिप को पर्सनल ऑटोनोमी यानी व्यक्तिगत रखायाता के चरण से देखने की जरूरत है, ना कि

सामाजिक नैतिकता की धारणाओं से।

" फिर भी 1978 में कानूनी मंजूरी

मिलने के बावजूद अर्थात् 45 वर्षों

बाद भी इस कानून के विरुद्ध अभी भी

देश के किसी न किसी भाग से स्वर

उठते ही रहते हैं। परन्तु लिव-इन

रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को

अदालतें यही कहकर संरक्षण देती

रही हैं कि ये विषय "संविधान के

आर्टिकल 21 के तहत दिए राइट टू

लाइफ" की श्रेणी में आता है।

निश्चित रूप से अदालत का यह फैसला

”

लिव-इन रिलेशनशिप अर्थात्

"स्वैच्छिक सहवास" को हमारे देश में कानूनी मान्यता हासिल हो चुकी है। भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को 1978 में कानूनी मंजूरी मिली थी। उस समय बढ़ी प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेंटेशन नामक एक मुकाम से सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया था। इसके बाद 2010 में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप अर्थात् "स्वैच्छिक सहवास" को हमारी मान्यता दी गई थी।

परन्तु कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप में बनने वाले

शारीरिक रिस्ट्रेट अर्थात् बिना शादी किए

एक ही घर में एक साथ रहने पर

सामाजिक विवरण से बार-बार सवाल

उठते रहते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप कानून

के पश्चात इसे मूलभूत मानवीय अधिकारों

और लोगों के व्यक्तिगत विषय के विषय

के रूप में देखते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ

एक बड़ा वर्ग इस व्यवस्था को भारतीय

सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध

मानता है। यह वर्ग इसे गैर पारंपरिक

भारतीय अधिकारों की विरुद्ध रहता है।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

जीवन के तहत किसी न किसी कानूनी

मंजूरी नहीं होती। और यह वर्ग इसे गैर

पारंपरिक विवरण से बार-बार रहता है।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले से सम्बन्धित कई खबरें

जीवा महत्वपूर्ण विवरण लेने का भी है।

व्यक्तिगत विवरण जीवन के

समय बचाने के लिए एक बड़ा वर्ग

है। यह वर्ग इसे गैर पारंपरिक

विवरण से बार-बार रहता है।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

में रहने वाले जोड़ों के बार-बार रहते हैं।

जिसके बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप

